म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. क्रमांक 653 /म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल/अका-1/2022-23

दिनांक 9/4/23

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) मे विनिर्दिष्ट प्रावधानांतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 179 वी सभा की बैठक दिनांक 17/11/2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन के मुख्य परिसर में स्थित सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस एवं हॉस्पिटल में पूर्व से संचालित शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में वृध्दि कर संचालित करने हेतु निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्र.	पूर्व से संचालित सीट संख्या	स्वीकृत सीट संख्या	कुल सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र
1.	B.Sc. Nursing	25	30	50	80	2020-21
2.	Post Basic (B.Sc.) Nursing	48	30	30	60	
3.	Bachelor Medical Lab. Tech. (BMLT)	52	50	50	100	2021-22

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईड लाईन के अनुसार दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा निर्धारित की गईगाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यकमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यल रूप से प्राप्त करना होगा।
7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यकमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यकमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)
सदस्य अकादमिक
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन............/ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल/अका-1/2022-23

प्रतिलिपि-

1. मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्र वृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सदस्य अकादमिक
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner